न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
नरेन्द्र सिह पुत्र अनार सिह जाति रावणा राजपूत निवासी फालना तहसील बाली, जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2003 जो जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या एफ 12 (3) राज./95 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री नवीन दवे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 11 –4–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम जादरी पटवार हल्का फालना तहसील बाली के खसरा नंबर 287/425 हाल खसरा नंबर 253/01 की भूमि मे से रकबा 2 बीधा किस्म बारानी द्वितीय भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म हेतु भू आवंटन) 1958 के तहत आवंटन की जाने पर दिनांक 3–10–1977 को अपीलांट के पक्ष मे लीजडीड निष्पादित होने पर उक्त भूमि 10 वर्ष के लिए अपीलांट को लीज पर दी गई जिसकी लीज अवधि वर्ष 1987 मे समाप्त हो जाने के पश्चात दिनांक 5–10–1995 को प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा पाली द्वारा अपीलांट को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमे उक्त लीज का नवीनीकरण वर्ष 1993 मे नही करवाये जाने का तथा निर्धारित संख्या से कम मुर्गियां रखी हुई होना एवं मकान का निर्माण करवाया हुआ होना बताते हुए नियमो की अवहेलना होने से क्यो नही आवंटन निरस्त कर दिया जाये तथा जवाब हेतु 15 दिवस का समय दिया गया तथा अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत किया । बाद सुनवाई के अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली ने वर्ष 1995 मे लीज अवधि समाप्त हो जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाना मानते हुए भूमि सिवाय चक दर्ज करने बाबत तहसीलदार बाली को आदेशित किया ।

11/4/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किये गये आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश की जाने पर उक्त अपील मे पारित निर्णय दिनांक 15–5–2000 द्वारा जिला कलेक्टर पाली के आदेश को यथावत रखे जाने पर अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे उक्त आदेश दिनांक 15–5–2000 के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमे पारित आदेश दिनांक 27–2–2003 के द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को पुनः सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई । जिसकी पालना मे जिला कलेक्टर पाली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2003 पारित करते हुए उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) को ऐसा नोटिस देने का कोई अधिकार नही था । इसके अलावा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अपीलांट के पक्ष मे लीज निष्पादित कर रजिस्टर्ड की गई । उक्त लीज के भाग प्रथम के द्वितीय अनुभाग मे उक्त 10 वर्षो के बाद भी और अगले 10 वर्षो के लिए इसे इन्ही शर्तो पर रिन्यु करवाया जा सकता है, का उल्लेख होने से लीज रिन्यु के संबंध मे स्पष्ट छूट दी गई थी, इसी के चलते अपीलांट द्वारा लगातार किराया जमा करवाया जाता रहा तथा रेस्पो0 राज्य सरकार द्वारा भी उक्त किराया स्वीकार करते हुए अपीलांट को रसीदे दी गई इसलिए स्वतः ही उक्त लीज समय बढाया हुआ माना जायेगा और अपने आप मे ही स्वीकृति कहलाएगी इसलिए अपीलांट ने समय पर लीज की राशि राज्य सरकार मे जमा करा दी जाने पर भी लीज निरस्त करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा लीज डीड की शर्तो का पालन किया जाता रहा है, मौके पर कब्जा आज भी अपीलांट का ही है तथा वर्तमान मे उक्त भूमि पर स्थित कुकुटशाला मे 500 मुर्गियां है जिसे अपीलांट का पुत्र एवं पुत्रवधु चला रहे है तथा लीज डीड की शर्तो के अनुरूप मुर्गियो के रख रखाव व देखरेख तथा उनके लिए पानी का होद एवं श्रमिको के रहवास के लिए क्वाटर निर्माण आदि कराया गया है, अपीलांट के नाम से विद्युत एवं पानी का कनेक्शन पॉल्ट्री फार्म का लिया हुआ है तथा पॉल्ट्री के लिए अन्य आवश्यक सुविधा की जाकर निरंतर एवं निर्बाध रूप सें कार्य किया

11/4/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जाता रहा है तथा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 27–2–2003 मे यह विवेचन दिया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय विधिक माईण्ड एप्लाई नही किया है तथा ज्युडिशियल जांच इस प्रकरण मे नही की गई है तथा इन बिन्दुओ पर विनिचय करने हेतु पत्रावली जिला कलेक्टर पाली को रिमाण्ड की गई थी परंतु जिला कलेक्टर पाली ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय निर्णय मे दिये गये निर्देशों की पालना मे कोई जांच नही करवाई और न ही कोई फाईंडिंग ही दी गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने जिला कलेक्टर पाली की पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट के पक्ष मे जारी लीज को निरस्त करने बाबत पारित किये गये पूर्व के आदेशो एवं वर्तमान अपीलाधीन आदेश जो जिला कलेक्टर पाली द्वारा दिनांक 30–9–2003 का विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष कै अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कार्यालय पाली से प्राप्त रेकर्ड पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो एवं निर्णय आदि का अध्ययन किया तथा जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–9–2003 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान प्रकट किये गये कथनो पर भी मनन किया। चूँकि अपीलांट को कुक्कुट शाला हेतु आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा आज भी अपीलांट का ही होना तथा वर्तमान मे उक्त भूमि पर स्थित कुकुटशाला मे पर्याप्त मात्रा मे मुर्गियां होना बताया है, जिसे अपीलांट का पुत्र एवं पुत्रवधु चला रहे है तथा लीज डीड की शर्तो के अनुरूप मुर्गियो के रख रखाव व देखरेख तथा उनके लिए पानी का होद एवं श्रमिको के रहवास के लिए क्वाटर निर्माण आदि कराया हुआ होना बताया तथा अपीलांट के नाम से विद्युत एवं पानी का कनेक्शन पॉल्ट्री फार्म का लिया हुआ है, जैसाकि पत्रावली मे उपलब्ध बिजली पानी के बिलो से प्रकट है । ऐसे मे अपीलांट को आवंटित भूमि के मौका स्थिति की जांच करवाने एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 27–2–2003 मे दिये गये ऑब्जर्वेशन के परिपेक्ष्य मे पुनः परीक्षण करवाया जाना न्यायोचित समझते है ।

11/4/2022

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उक्त निर्णय मे दिये गये ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर मौके की वस्तुस्थिति की जांच कर

नियमो मे वर्णित प्रावधानो के अनुरूप अपीलांट को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11 –4–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

11/4/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर